आवंटन
अनुदान सं0–14
तेरह अंको का कोड–2515001010400

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा मे,

जिला पंचायत राज अधिकारी/
आहरण–वितरण अधिकारी,
आगरा, बरेली, बांदा, लखनऊ, अयोध्या तथा गोण्डा।

संख्या– 1/242/2020–1/04/2020 : लखनऊः दिनांक 07 सितम्बर, 2020

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में मण्डल पंचायत प्रशासन के अधिष्ठान मद में व्यय हेतु अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–101–पंचायती राज–04–मंडल पंचायत प्रशासन के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–21/2020/821/33–3–2020–100(3)/2017 दिनांक 03.04.2020 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष मण्डल पंचायत प्रशासन के अधिष्ठान मद में व्यय हेतु संलग्न तालिका में रू0–**58,56,894/–(रूपया अट्ठावन लाख छप्पन हजार आठ सौ चौरान्बे मात्र)** धनराशि निम्नलिखित शतों एवं प्रतिबंधों के अधीन आवंटित की जाती हैः–

1. आवंटित धनराशि को आहरित कर पी0एल0ए0/डिपॉजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
3. वित्तीय स्वीकृतियों तथा कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ–साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय।
4. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ–साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर–12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स ऑफ फाइनेन्सियल प्रोपाइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
5. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2020/बी–1–149/दस–2020–231/2019 दिनांक 24.03.2020 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेण्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
7. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं0–4/2018/आर0जी0–1021/दस/ 2018–मित0–1 /2017 दिनांक 18.09.2018 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
8. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020–21 के अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–101–पंचायतीराज–04–मंडल पंचायत प्रशासन अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।
9. नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाय। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।
10. बी0एम0–4 पर बने सभी कालम अवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।

11.यदि बी0एम0–4 में सूचना नही भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होगें।

12.यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जानी है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण–पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।

13.एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

14.यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उप–मुख्य–लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुंकिंग में बाधा न हो।

15.संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखेंगें तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक निदेशालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें–

1. कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक विवरण बी0एम0–4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटमेन्ट आगामी माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग–1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. वर्ष 2020–21 में समर्पण यदि कोई हो तणे उसकी सूचना दिनांक 15.03.2021 तक निदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या–75 पर अंकित है।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(किंजल सिंह)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1/242/2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन।
3. महालेखाकार सी0पी0सी0–2 उ0प्र0 प्रयागराज।
4. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0, प्रयागराज।
5. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15–ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 प्रयागराज।
6. सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक (पं0), उ0प्र0।
7. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा, बरेली, बांदा, लखनऊ कलेक्ट्रेट, अयोध्या तथा गोण्डा।
8. एस0पी0एम0यू0, पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(ब्रजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2020-2021
आवंटन दिनांक-07/09/2020

प्रेषण संख्या:- 1-242-2020-1-04-2020
आवंटन आदेश संख्या:- 004-01-04-2020
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)

101 - पंचायती राज
04 - मण्डल पंचायत प्रशासन

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	49-चिकित्सा व्यय	55-मकान किराया भत्ता	योग
1	आगरा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	552334 1023200	93897 173944	0 0	0 35315	646231 1232459
2	बरेली-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	2164156 4546571	430461 835472	0 0	194640 373321	2789257 5755364
3	बांदा -2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	683432 1089100	144127 213091	0 0	11155 41580	838714 1343771
4	लखनऊ कलेक्ट्रेट -2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	0 2351631	0 399777	159120 225301	0 176372	159120 3153081
5	अयोध्या-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	470400 1033200	88268 183944	0 0	13200 55410	571868 1272554
6	गोण्डा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	714509 1221600	121467 207672	0 0	15728 53760	851704 1483032
	योग	वर्तमान प्रगामी	4584831 11265302	878220 2013900	159120 225301	234723 735758	5856894 14240261

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया अट्ठावन लाख छप्पन हजार आठ सौ चौरानवे
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक करोड़ बयालीस लाख चालीस हजार दो सौ इकसठ

(बृजेश कुमार)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी